25/04/22	पत्रावली आज पेश हुई। [illegible] प्रतिवादीगण को नोटिस [illegible] प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रतिवादीगण [illegible] तामील के बावजूद [illegible] प्रतिवादीगण के विरुद्ध [illegible] अनुपस्थित रहने के प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वादी [illegible] साक्ष्य हेतु दिनांक 23/05/22 को पेश हो।
	(signature) सहायक कलेक्टर SDO (मुहम्मदाबाद)
23/05/22	पत्रावली आज पेश हुई। [illegible] हेतु [illegible] पत्रावली दि० [illegible]-05-22 को पेश हो।
	(signature) सहायक कलेक्टर, मुहम्मदाबाद
15/06/22	पत्रावली आज उपरोक्त मामले के लिए नियत [illegible] ROAI- [illegible] प्रार्थी उपस्थित। TDR [illegible] के [illegible] [illegible] पेश हुई। [illegible] प्रकरण के [illegible] किये गये तथा [illegible] [illegible] नहीं। [illegible] गया। पत्रावली [illegible] पेश हो।
	(signature) सहायक कलेक्टर, मुहम्मदाबाद

सरकार [illegible]
[illegible]
मुहम्मदाबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:05:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.), गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार R.A.S.

प्रकरण संख्या :–18/2020

वादीगण
1. बेलाराम पुत्र सांवलाराम
2. धनाराम पुत्र सांवलाराम
   कौम कलबी निवासी मघा की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण
1. सांवलाराम पुत्र दौलाराम
2. चन्दू पुत्री सांवलाराम
3. शंकरा पुत्र सवदाराम
4. जीवा पुत्र दौलाराम
   कौम कलबी साकिन मघा की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
5. मैनेजर एस.बी.आई. एडीबी शाखा गुड़ामालानी
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

दावा अन्तर्गत धारा 88,40,188,207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
एवं धारा 6 व 8 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम
वास्ते खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

दिनांक :– 15/1/22

वादीगण ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 40, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 6 व 8 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दु विधि से शासित होते है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 पूर्व पुरूष दौलाराम के वारिसानएवं संतान है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र–पुत्री हैं।

वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक व संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र भाखरपुरा के राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम मघा की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 579, 579/2, 579/3, 637, 674, 706, 709, 728 रकबा कमशः 0.8417, 0.0081, 1.9425, 2.5171, 6.0298, 7.2681, 1.2950, 3.1889 है[illegible] आई हुई है। उक्त विवादित आराजी का वक्त [illegible] पूर्व पुरूष स्व0 दौलाराम के नाम प[illegible] खातेदारी रेकर्ड संधारित हुआ। उनके देहान्त के बाद उनके पुत्र वादीग[illegible] के पिता सांवलाराम को प्राप्त हुई। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र होने से उक्त वादग्रस्त अराजी में वादीगण के जन्म से ही हक निहित हो चुके हैं। वादीगण प्रत्येक का उक्त आराजी में 1/9–1/9 हिस्सा है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:05:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी